सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक, 1941 (श०)

संख्या- 896 राँची, सोमवार, 11 नवम्बर, 2019 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

31 अक्टूबर, 2019

विषय- जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, चाईबासा से वित्त पोषण हेतु JnNURM अन्तर्गत स्वीकृत चाईबासा शहरी जलापूर्त्ति योजना की प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 43,96,73,000 रू० की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

संख्या-05/यो०/जला०/चाईबासा/20/2019/न०वि०आ०-5383-- 74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर विकास एवं आवास विभाग का संवैधानिक दायित्व है।

उक्त क्रम में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-44 दिनांक-31.08.2012 द्वारा JnNURM अन्तर्गत चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति 32,17,80,000/- रू० पर प्रदान करते हुये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग स्तर से योजना कार्यान्वित की जा रही है।

2. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा M/s SMS Pryawaran Ltd. के साथ दिनांक-15th अप्रैल 2013 को 38.18 करोड़ रूपये की राशि पर कार्यादेश निर्गत किया गया, परन्तु 24 माह बीत जाने के उपरान्त कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं होने के कारण, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संवेदक/एजेंसी M/s SMS Pryawaran Ltd. के साथ हस्ताक्षरित एकरारनामा को विखंडित कर दिया गया।

3. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा योजना के कार्यान्वयन के दौरान Intake Well, ESR, UGR की क्षमता में वृद्धि एवं UGR के उपर पम्प हाउस निर्माण, Rising Main, Distribution Main Pipeline में वृद्धि, पम्प हाउस के आकार आदि में वृद्धि के कारण, योजना लागत में वृद्धि निम्नवत प्रतिवेदित किया गया है :-

चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना के अवयवों में वृद्धि का कारण ।		
Sl. No.	**Particulars**	**Amount (In lakh Rs.)**
1	Original Sanction(SOR- 2007-2008)	3,218.00
2	BOQ Amount (SOR- 2013-2014)	3,419.00
3	Difference Amount	201.00
4	Rate Awarded to agency (9.38% above)	327.00
5	**Excess Items**	
	a Due to Dia & Staging of Tower	165.00
	b Due to Dia & Length of Pipeline	262.73
	c Due to Dia & Depth of Increase Intake well	45.00
	d Due to Water Pump Capacity	65.00
6	**Claim Item**	
	a Provision of Railway Crossing	7.40
	b Payment to Electric Department	7.59
	c Payment to RCD	0.43
	d Claim for Mechanical Item	25.58
		1,178.73 Lakh

4. अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा मुख्य अभियंता (CDO), पेयजल एवं स्वच्छता स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा निम्नवत् की गयी हैः-

SN.	**Particulars**	**Amount**
1	Completed Work (**A**)	253354509.50
2	Remaining Work	163094015.00
3	GST @ 12%	19571281.80
4	Labour cess @ 1%	1826652.968
5	Contigency @ 1%	1826652.968
6	Total Estimate of Remaining Work (Including GST) (**B**)	186318602.74
7	**Total (A+B)**	439673112.316
	R/o	43,96,73,000

5. चूँकि चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना की स्वीकृति JnNURM अन्तर्गत प्रदान की गयी थी, जो वर्तमान में बन्द हो चुकी है। अतएव, प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन की वर्धित राशि 11,78,93,000 रू० का वित्त पोषण जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) चाईबासा किया जायेगा।

6. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, DMFT, चाईबासा के पत्रांक-369 दिनांक-05.09.2019 द्वारा चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना के अवशेष कार्यो, की प्राक्कलित राशि 11,78,93,000 रू० का वित्त पोषण DMFT, चाईबासा से करने की सहमति प्रदान की गयी है।

7. उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, DMFT, चाईबासा द्वारा चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना के प्रथम पुनरीक्षण उपरान्त वर्धित राशि रू० 11,78,93,000 (ग्यारह करोड़ अठतर लाख तेरानवे हजार रू० मात्र) कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा को चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे, जिसे कार्यपालक अभियंता ''जमा शीर्ष'' में जमा कर कार्य करायेंगे।

8. उपरोक्त प्रस्तावित योजना का कार्यान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा आगामी छः (06) माह में पूर्ण किया जायेगा एवं प्रत्येक माह की 5वीं तारीख को योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड राँची को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

9. उक्त के आलोक में चाईबासा शहरी जलापूर्ति योजना (JnNURM) के प्रथम पुनरीक्षण प्रस्ताव की प्राक्कलित राशि रु० 43,96,73,000 की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

10. उक्त योजना के कार्यान्वयन के क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(a) इस बिन्दु की समीक्षा की जायेगी कि योजना का Alignment बदलने से पूर्व भू-अर्जन के विकल्प को Examine किया गया था या नहीं।

(b) यह भी देखा जायेगा कि अगर वित्तय वर्ष 2012-13 में ही भू-अर्जन की कार्रवाई की गई होती तो उसपर कितना व्यय होता।

(c) अगर वह राशि प्रस्तावित वृद्धि से काफी कम है तो विभाग दोषी अभियंताओं को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुकूल अनुशासनिक कार्रवाई करेगा।

11. दिनांक-25.10.2019 को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद् बैठक में मद संख्या-25 के रूप में उक्त योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 896 -- 50